



संख्या

/ एस0ई0(एच0क्यू0) / 261

दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त, लखनऊ के पत्र सं0-247/वाई-16/36 दिनांक 26.02.2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति के आधार पर एतद्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत् निर्गत की जाती है :-

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 1- | कार्य का विवरण | लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित 192 नग जी+3 प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य। |
| 2- | आई0डी0कोड नं0 | 199018 |
| 3- | अ-प्रशासनिक स्वीकृति का संदर्भ | अभियन्त्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश सं0-815/एस0ई0(एच0क्यू0)/261 दिनांक 20.02.2018 |
| | ब-कार्य की लागत | रु0 910.97 लाख |
| 4- | तकनीकी स्वीकृति की लागत | रु0 910.97 लाख |
| 5- | लेखा शीर्षक संख्या | 690/01 (17-18) |

प्रतिबन्ध

- 1- कार्यो का सम्पादन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार कराया जाय। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- 2- विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की दरों एवं मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता का होगा।
- 3- तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाय।
- 4- कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जाय।
- 5- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में निर्धारित अवधि 22 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- 6- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी दरों का आधार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- 7- कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता/विशिष्टियों का परीक्षण प्रयोग करने से पूर्व अवश्य करा लिया जाय।
- 8- प्रश्नगत परियोजना का सम्बन्धित खण्ड द्वारा रेरा (UPRERA) में पंजीकरण अवश्य करा लिया जाये।
- 9- तकनीकी स्वीकृति निर्गत होने के पश्चात कार्य की निविदाएं इस प्रतिबन्ध के साथ आमंत्रित की जायेगी कि पंजीकरण के उपरान्त पात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर निविदाएं स्वीकृत की जाये एवं तदनुसार ही भवनों का निर्माण कराया जाये।
- 10- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित भवनों के फाउण्डेशन की डिजाइन स्थल की वास्तविक वियरिंग कैपिसिटी के आधार पर आई0ई0टी0 लखनऊ से करायी गयी है, जिसमें भूकम्पीय क्षेत्र-3 के अनुसार प्राविधान किये गये हैं। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि अन्य स्ट्रक्चरल डिजाइन सक्षम स्तर से वैट कराते हुए ही कार्य कराया जाये।

(मो0 सलीम अहमद)
मुख्य अभियन्ता

पृ0सं0: 050

/ उक्त / 261

दिनांक 26-2-2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता(प्रो0)/मुख्यालय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- अधिशाली अभियन्ता(मु0)/नि0ख0-31, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता